(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1501—एक/2001 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—08—2001 के द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 152/अपील/1999—2000

.....

1— रमाशंकर तनय चन्द्रभान
2— नागेन्द्र प्रसाद तनय नन्दकुमार
3— सपेन्द्रमणि तनय नागेन्द्रमणि
4— त्रिवेणी प्रसाद तनय रामभरोसी
5— गयादीन तनय बैजनाथ यादव
6— परमेश्वरद्दीन तनय बैजनाथ यादव
7— अविनाश कुमार तनय महेन्द्र कुमार
8— अखिलेश कुमार तनय महेन्द्र कुमार
9— नरेन्द्र प्रसाद तनय रामसुन्दर
10— शम्भू प्रसाद तनय नन्द कुमार
11— हरिहर प्रसाद तनय रामदुलारे
12— रामशरण उर्फ ठेक्का तनय धनुकधारी
13— श्यामचरण तनय राममणि

निवासीगण—ग्राम रगपुरवा, तहसील—रायपुर, कुर्चलियान, जिला—रीवा

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1— गोविन्द प्रसाद तनय हरविष्णु प्रसाद
2— राजकुमार तनय जमुना प्रसाद

निवासीगण— ग्राम डिहुली, तहसील—गुढ़, जिला—रीवा, म0प्र0

3— मोतीलाल तनय लक्ष्मण प्रसाद

4— राजेश्वर प्रसाद तनय लक्ष्मणप्रसाद

5— रामगिलन तनय लक्ष्मणप्रसाद

6— राघवेन्द्र तिवारी तनय रामसुन्दर तिवारी

निवासीगण–ग्राम रमपुरवा, तहसील–रायपुर,

कुर्चलियान, जिला–रीवा

7— सरपंच ग्राम पंचायत अमवा नं0 5 तहसील गुढ़

जिला–रीवा, म0प्र0

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 1/6/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत तहसील गुढ़ एवं आम जनता डिहुली एवं रमपुरवा की ओर से अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष दिनांक 30.10.99 को ग्राम डिहुली तहसील गुढ़ एवं ग्राम रमपुरवा तहसील रामपुर कर्चुलियान के ग्रामों के बीच में डिहुली से रमपुरवा होकर सड़क तक मार्ग उपलब्ध कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/99–00 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2000 एवं दिनांक 27.06.2000 से संहिता की धारा 135 के तहत ग्राम डिहुली एवं रमपुरवा के कतिपय भू–खंड अर्जित किये जाने बाबत अंतरिम आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 152/अपील/1999–2000 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 03.08.2001 से आयुक्त

रीवा द्वारा प्रस्तुत अपील को निराधार मानते हुये अपास्त किया गया । आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आयुक्त रीवा द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार रहित है। अपर कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 06.06.2000 व 27.06.2000 को जो अंतरिम आदेश पारित किये गये है, जिनके खिलाफ वैधानिक उपचार आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जानी थी, जबकि आयुक्त द्वारा विधि के उपबन्धों के विपरीत निगरानी के स्थान पर अपील ग्राह्य करके उसमें गुण व गुण पर आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आयुक्त रीवा ने प्रकरण की कार्यवाहियों पर वैधानिक रूप से विचार किये बिना कलेक्टर रीवा के आदेशों की पुष्टि की है। जबकि अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा 135 के तहत भू–अर्जन की कार्यवाहियों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अंत में अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ प्रत्यर्थी क्र0 2 से 4 पूर्व से एकपक्षीय है। शेष प्रत्यर्थी सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील गुढ़, ग्राम डिहुली स्थित प्रश्नाधीन आराजी भूमियों में से ग्राम डिहुली से रमपुरवा जाने के लिये मार्ग हेतु संहिता की धारा 135 के अंतर्गत अधिग्रहीत किये जाने का अंतरिम आदेश अपर कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 06.06.2000 को दिया गया तथा तहसीलदार गुढ़ एवं तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को भूमिस्वामियों को प्रतिकार की राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में भी आदेश जारी किये गये साथ ही अपर कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति संबंधित भूमिस्वामियों को तामील कराई जाये तथा प्रथावित भूमियों में अन्तरिम आदेश की प्रति चस्पा की जाये। उपरोक्त दोनों ग्रामों की जमीनों के बीच से रास्ता निकालने की कार्यवाही पूर्ण की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा था। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2000 को प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि दोनों ग्रामों की जमीनों

के बीच जो मार्ग प्रचलित है इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग डिहुली रमपुरवा पहुँचने हेतु नहीं है। इस मार्ग को चालू रखने हेतु भूमिस्वामियों द्वारा अपनी सहमति दी गई थी और इसी प्रतिवेदन के आधार पर ही दोनों गांवों व तहसीलों के बीच रास्ते में आने वाली भूमियों का भू–अर्जन किया गया ।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा गया है कि अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा 135 के तहत भू–अर्जन की कार्यवाहियों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित किये गये अंतरिम आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भू–अर्जन की कार्यवाही करने के पूर्व भूमिस्वामियों को प्रतिकार की राशि प्राप्त कर मुआवजा के रूप में प्रदाय किये जाने हेतु नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया और साथ ही प्रभावित भूमिस्वामियों को आदेश की प्रति तामील भी कराई गई है। ग्राम अमवा, डिहुल, एवं रमपुरवा की जनता को सूचित भी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीगण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उन्हें भू–अर्जन की कार्यवाहियों की जानकारी नहीं दी गई । जहां तक संहिता की धारा 135 का प्रश्न है । धारा 135 के प्रावधान नये रास्ते के लिये है–प्रचलित रास्ते के लिये नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिये धारा 135 के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में आम सूचना भी जारी किया गया है। तहसीलदार तहसील गुढ़ एवं नायब तहसीलदार वृत्त डेल्ही तहसील रायपुर कर्चुलियान ने दिनांक 06.04.2000 एवं दिनांक 03.03.2000 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है। प्रकरण में पंचनामे और बयान भी संलग्न है। भूमिस्वामियों ने शपथ पत्र पर सार्वजनिक आम रास्ते हेतु खाते की भूमि देने में सहमति भी व्यक्त की है। नोटिस भी जारी हुये है और तामील शुदा नोटिस भी अभिलेख में संलग्न है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही की गई है। अपर कलेक्टर रीवा के प्रश्नाधीन आदेश में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती है और आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 152/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2001 द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः आयुक्त रीवा का आदेश

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही की गई है। अपर कलेक्टर रीवा के प्रश्नाधीन आदेश में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती है और आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 152/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2001 द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः आयुक्त रीवा का आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर